भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3919
उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

जनजाति-बहुल विद्यालयों में एफएलएन आधारित शिक्षण

3919. **श्री गणेश सिंहः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में गोंड, भील, कोरकू, बैगा, कोल, सहरिया और मवासी जैसी विशिष्ट जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें से कई वन-आधारित जीवन शैली और सीमित शैक्षिक संसाधनों पर निर्भर हैं;
(ख) क्या सतना जिले में सरकार द्वारा इन जनजातीय समुदायों के छात्रों के लिए मातृभाषा आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम), बहुभाषी कक्षाएं, स्थानीय शिक्षक प्रशिक्षण और स्कूलों तक भौगोलिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष योजनाएँ/हस्तक्षेप कार्यान्वित किए जा रहे हैं; और
(ग) क्या सरकार सतना जिले में मवासी जनजाति जैसे विशिष्ट सामाजिक-भाषाई समूहों के लिए जनजाति-बहुल स्कूलों में स्थानीय बोली में एफएलएन (बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता) आधारित शिक्षण या नवाचारों के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है तथा अधिकांश विद्यालय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सतना जिले में कोल, गोंड और मवासी जनजातियाँ निवास करती हैं और उनके पास

आवश्यक शैक्षिक संसाधन जैसे आश्रमशालाएँ, छात्रावास, कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य विद्यालय और अन्य विद्यालय उपलब्ध हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल), शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 5 जुलाई, 2021 को "समझ के साथ पढ़ने और संख्याज्ञान में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत)" नामक एक राष्ट्रीय मिशन आरंभ किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का प्रत्येक बच्चा (मध्य प्रदेश के सभी जिलों सहित) कक्षा 2 के अंत तक अनिवार्य रूप से बुनियादी साक्षरता और अंकगणित संबंधी ज्ञान प्राप्त कर ले। यह मिशन केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना, जो स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, के तत्वावधान में स्थापित किया गया है। समग्र शिक्षा योजना के तहत, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों को समान पहुँच के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है।

एनईपी 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 तथा फाउंडेशनल स्टेज के लिए एनसीएफ का प्रारंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा देना एक प्रमुख लक्ष्य है। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने एनसीईआरटी और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूरु के साथ-साथ जनजातीय संस्थानों ने भारत की जनगणना में सूचीबद्ध 117 भाषाओं में प्राइमर्स विकसित किए हैं। प्राइमर्स https://ncert.nic.in/primers.php पर उपलब्ध हैं। ये भाषाएँ कम से कम 10000 आबादी द्वारा बोली जाती हैं। ये प्राइमर्स बहुभाषावाद का समर्थन करने और बच्चों की मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो एनईपी-2020 के साथ अनुकूलित हैं। मध्य प्रदेश के लिए, 02 स्थानीय भाषाओं अर्थात कोरकू और भीली (वसावा) में प्राइमर्स हैं।

*****